फा. सं. ऐरा/25012/पीईआरएफ-एसटीडीएस/2009/खंड-III

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

Airports Economic Regulatory Authority of India

*****

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003.

दिनांक: 17.10.2025

सार्वजनिक सूचना संख्या 09/2025-26

विषय: प्रमुख हवाईअड्डों के सेवा और संबद्ध गतिविधियों की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित कार्य निष्पादन मानक तैयार करने के लिए 18.08.2025 को जारी परामर्श पत्र संख्या 03/2025-26 के संबंध में हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ाना

प्रमुख हवाईअड्डों के सेवा और संबद्ध गतिविधियों की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित कार्य निष्पादन मानक तैयार करने के संबंध में ऐरा द्वारा 18.08.2025 को जारी परामर्श पत्र संख्या 03/2025-26 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

1. दिनांक 10.09.2025 को आयोजित हितधारक, जिनमें हवाईअड्डा प्रचालक, फेडेरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और अन्य उद्योगों के प्रतिभागी शामिल थे, परामर्श बैठक के दौरान प्राप्त विभिन्न अनुरोधों के आधार इस विषय के परामर्श पत्र के संबंध में लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख दिनांक 16.09.2025 की सार्वजनिक सूचना संख्या 08/2025-26 माध्यम से 20.10.2025 तक बढ़ा दी गई थी।

2. इसी बीच कुछ अन्य हितधारकों से भी यह अनुरोध प्राप्त हुआ कि आने वाले कई त्योहारों को देखते हुए और परामर्श पत्र के जवाब में विस्तृत और अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए इस समय-सीमा को और बढ़ाया जाए।

3. एक मजबूत और संतुलित विनियामक ढांचे को आकार देने में हितधारकों की जानकारीपरक और व्यापक प्रतिक्रिया के महत्व को समझते हुए प्राधिकरण ने विस्तृत विश्लेषण और टिप्पणियां प्रस्तुत करने की सुविधा के लिए अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है।

4 उपर्युक्त के मद्देनजर, सभी संबंधित हितधारकों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त विषय के परामर्श पत्र संख्या 03/2025-26 पर लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बढ़ा दी गई है:

विवरण	**मौजूदा तारीख**	**संशोधित तारीख**
हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	20.10.2025	**31.10.2025**

5 तदनुसार, सभी हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी लिखित टिप्पणियां संशोधित तारीख अर्थात **31.10.2025** तक प्रस्तुत करें।

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)